संख्या-31/2018/1920/अडतीस-7-2018-80 नरेगा/2018

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर, 2018**

विषय-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों(ग्राम रोजगार सेवक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर आपरेटर) के लम्बित मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित व्यवस्थानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत संविदा कार्मिकों(ग्राम रोजगार सेवक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर आपरेटर) के लम्बित अवशेष मानदेय के भुगतान हेतु रू0 10000.00लाख(रूपये एक अरब मात्र) श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से प्रथमत: वित्तीय वर्ष 2016-17 की लम्बित देयता का भुगतान किया जायेगा।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रायोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुत: जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018/231/2018 दिनांक 30-03-2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018 -19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 13 के लेखा शीर्षक " 4515-102-02-0201- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के-60/रा.40-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत :स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 31/2018/1920(1)/अड़तीस-7-2018 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।